न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 15/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/60

प्रार्थी:–

जब्बरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी राणा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मृत अमराराम पुत्र भीकाराम चौधरी के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती पूरी देवी पत्नी स्व. अमराराम जाति चौधरी निवासी राणा तहसील रोहट जिला पाली
2. ग्राम पंचायत खुण्डावास पंचायत समिति रोहट जिला पाली (पहले ग्राम पंचायत सेदरिया)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/10/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सेदरिया द्वारा मिसल संख्या 02/1987–88 दायर दिनांक 10.10.1987, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 10.01.1988 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 77 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत खुण्डावास ने पत्र दिनांक 30.05.2024 एवं ग्राम पंचायत राणा ने पत्र दिनांक 24.01.2018 के द्वारा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पति के पक्ष में बिना आधिपत्य के उक्त पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है तथा प्रार्थी के जन्म से ही आदिनांक तक इस पर कब्जा चला आ रहा है। मौके पर भुखण्ड का उपयोग बाडे के रूप में किया जा रहा है। पट्टाधारक तत्कालीन समय में वार्डपंच था तथा कोई भी पंचायत का सदस्य स्वयं के नाम से पट्टा जारी नहीं करवा सकता। जैर निगरानी पट्टे का रेकर्ड भी उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टे के उत्तर दिशा में मामाजी का मन्दिर एवं दक्षिण दिशा में पाली से कुलथाना सड़क स्थित है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा 70 फुट चौड़ाई और 237 फुट लम्बाई क्षेत्रफल का

अति. जिला कलेक्टर पाली

जारी किया है जबकि मौके पर भूमि केवल 175 बाई 124 फीट नाप की ही स्थित है। पट्टे के अनुसार उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा के मध्य की दुरी 237 फुट है जबकि उक्त दोनों हदूद मामाजी का मन्दिर और सड़क स्थिर जगह है और उनके बीच की दुरी 124 फीट ही है तो पट्टा 237 फीट का कैसे जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने बिना पंच नियुक्त किये, बिना प्रस्ताव लिये पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी के आवेदन में भी केवल कब्जा अंकित है तथा जिन दो व्यक्तियों के बयान लिये गये है उन्होनें शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ये बयान उनके द्वारा नहीं दिये गये है। जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में न होकर खातेदारी भूमि में जारी किया गया है। अप्रार्थी का कथन की जैर निगरानी पट्टे के पास ही मेरे भाई विजय सिंह को भी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, इसमें हो सकता है कि ग्राम पंचायत ने मेरे भाई का भी गलत पट्टा जारी कर दिया हो। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में विवादयक बिन्दु 5 मेरे विरूद्ध तय हुआ क्योंकि मेरा टाईटल नहीं है। उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा प्रार्थी का है, जिसे ग्राम पंचायत ने भी माना है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458, 1995 DNJ 413, 2000(2) RLW 911, 2018(2) DNJ 497, 2015(1) DNJ 443 पेश कर ग्राम पंचायत द्वारा बिना आधिपत्य के मौके के विपरीत पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिवक्ता प्रार्थी का कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा अमराराम के नाम से है। अप्रार्थी संख्या 1 विधवा महिला है और जब इसे बाहर निकाला तो सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। जैर आराजी की सिविल न्यायालय में मौका रिपोर्ट मंगवायी गई लेकिन प्रार्थी के परिवाजनों ने मौके पर माप नहीं करने दिया, उक्त मौका रिपोर्ट में पूर्व से पश्चिम का नाप 212 फुट है। इस भूमि के तीन पट्टे जारी किये गये तथा मौके पर पुरे भूखण्ड का नाप 212 बाई 237 फुट है। इसके पश्चात प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई वह मिलावट कर जारी की गई है और प्रार्थी केवल इस रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहे है कि मामाजी का मन्दिर और सड़क स्थिर जगह है और उनके बीच की दुरी 124 फीट ही है जबकि वास्तविकता में भूमि की लम्बाई 237 फीट है और इसी क्षेत्रफल का प्रार्थी के भाई विजयसिंह के पक्ष में भी पट्टा संख्या 78 जारी किया गया है एवं उस पट्टे के पड़ौस में अमराराम का नाम अंकित है। मौके पर तीन भूखण्डों में पूर्व का हिस्सा अप्रार्थी का एवं शेष दोनों भूखण्ड प्रार्थी व उसके भाई का है। प्रार्थी पूर्व दिशा में सड़क की तरफ आना चाहता है इसलिये अप्रार्थी के पट्टा सुदा भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। सिविल न्यायालय ने प्रार्थी का काउण्टर क्लेम खारिज किया, कोई राईट टाईटल नहीं और प्रार्थी को कब्जा हटाने हेतु पाबन्द किया। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र कब्जे के है और प्रार्थी द्वारा मेरी भूमि पर कब्जा करने पर अप्रार्थी उक्त अवैध कब्जे को हटाने हेतु सिविल न्यायालय गये। अमराराम ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया। नियमानुसार मिसल दर्ज कर मौका निरीक्षण किया गया तथा आपत्ति नोटिस जारी किया गया और पुरी प्रक्रिया अपनाई जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। गवाहों ने 1988 में बयान दिये और अब शपथ पत्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पेश कर उन बयानों को झुठा बता रहे है तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 की अवहेलना है, आपकों पहले इन शपथ पत्रों को साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित करना होगा। प्रार्थी के कथनानुसार जैर निगरानी आराजी कृषि भूमि है तो क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कृषि भूमि में स्थित हैं। ग्राम पंचायत ने विधिअनुसार प्रक्रिया अपनाते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी के पट्टा सुदा भूमि को हडपने की नियत से जैर निगरानी याचिका बिना किसी विधिक आधार के पेश की है जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सेदरिया द्वारा मिसल संख्या 02/1987–88 दायर दिनांक 10.10.1987, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 10.01.1988 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 77 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस प्रथम उज्र यह रहा कि प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका 24 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों को प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 24 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा 70 बाई 237 फुट का जारी किया गया है जबकि मौके पर ऐसा कोई नाप विद्यमान ही नहीं है और प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भी भूखण्ड का नाप कम है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता ने कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि मौके पर नाप पट्टे में अंकित नाप अनुसार ही है तथा प्रार्थी ने मिलावट करते हुये पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट के उपर दूसरी मौका रिपोर्ट तथ्यों को बदलने हेतु मंगवाई है। यहां पर यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या जैर निगरानी पट्टे में अंकित नाप मौके स्थिति अनुसार है ? इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट से होती है। जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय पाली में विचाराधनी वाद संख्या 38/2012 अनवान पूरी देवी बनाम जब्बरसिंह में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2012 में वादग्रस्त भूखण्ड का केवल पूर्व से पश्चिम का ही नाप अंकित है जो कि 212 बताया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कहना था कि जैर निगरानी पट्टे के उत्तर दिशा में मामाजी का मन्दिर और दक्षिण दिशा में पाली से कुलथाना सड़क विद्यमान है, जो कि एक स्थिर जगह है और उनके बीच की दुरी का नाप मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2012 में नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर विवादग्रस्त क्षेत्र की न्यायालय हाजा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई और विकास अधिकारी पंचायती समिति रोहट से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा और प्रार्थी के भाई के पक्ष में जारी पट्टे के नाप दक्षिण से उत्तर दिशा में 237 फुट के स्थान पर 124 फुट भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त मौका रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उत्तर से दक्षिण दिशा का नाप ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर 124 फीट और राणा गांव जाने वाली सड़क की आरे नाप 175 फुट अंकित है। जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में राणा गावं में जानी वाली सड़क अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की मौका स्थिति अनुसार उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के मध्य की भूमि का माप 175 फुट ही है जबकि ग्राम पंचायत ने इसी दिशा में प्रश्नगत पट्टा 237 फुट का जारी कर दिया। जब मौके पर 237 फुट माप की भूमि उपलब्ध ही नहीं है तो ग्राम पंचायत उक्त क्षेत्रफल का पट्टा कैसे जारी कर सकती है ? इससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण किये बिना ही मौका

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्थिति से अधिक भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी कर दिया, जो पंचायतीराज के विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। अब अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र की विकास अधिकारी पंचायती सिमिति रोहट से प्राप्त मौका रिपोर्ट मिलावट कर प्राप्त की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन वास्तविकता से परे है क्योंकि सिविल न्यायालय पाली में प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्य और पूर्व से पश्चिम दिशा का माप, हस्तगत प्रकरण में विकास अधिकारी रोहट से प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं माप के समानान्तर हैं अर्थात् दोनों रिपोर्ट में जितने तथ्य अंकित है वे परस्पर लगभग एकसमान है और यदि इन तथ्यों में परस्पर विरोधाभाष होता तो अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन उचित होता परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई वस्तुस्थिति प्रकट नहीं हुई है इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त कथन यथोचित नहीं है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो, जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र कि ग्राम पंचायत ने बिना आधिपत्य के जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया और न ही मौके पर कोई मकान बना हुआ है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि पूर्व में अमराराम का ही कब्जा था तथा वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण जैर आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा और प्रार्थी जैर आराजी में प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। उभयपक्ष के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान में जैर आराजी पर प्रार्थी जब्बरसिंह का कब्जा है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र दिनांक 06.02.2012 एवं 21.08.2018 में अंकितानुसार "जब्बरसिंह एवं विजयसिंह जन्म से ही इस बाडा का उपयोग करते आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी के पास है। ये बाड़ा उनके पिता की पैतृक सम्पत्ति है। इसके अलावा दुसरे व्यक्ति को आज तक नहीं देखा है। इनके पास सहकारी भण्डार तथा मामाजी महाराज का मन्दिर व रामलाल पुत्र लालाराम पटेल का बाड़ा है।" ग्राम पंचायत के उक्त पत्र प्रार्थी कथनों की ताईद करता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जैर आराजी पर शुरूआत से कब्जे के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। प्रकरण में यह प्रमाणित है कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का जन्म से ही कब्जा था अर्थात् किसी दुसरे व्यक्ति का कब्जा होते हुए ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधिपत्य के अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि जैर आराजी पर प्रार्थी का जन्म से ही कब्जा है और वर्तमान में भी प्रार्थी का ही कब्जा है और ऐसी स्थिति में उस कब्जेसुदा भूमि का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जारी कर दिया जाता है तो कब्जेधारी के हक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होते है इसलिये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी हक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अधिकार पूर्णतया प्रभावित हुये इसलिये प्रभावित, पीड़ित पक्षकार है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2012 एवं विकास अधिकारी पंचायती समिति रोहट से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2025 मे विवादग्रस्त क्षेत्र में कहीं पर भी मकान निर्माण होना नहीं बताया है केवल वर्तमान में एक निर्माणाधीन कमरे के कथन किये है इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद में भी अप्रार्थी स्वयं ने यह स्वीकार किया कि जैर आरजी का उपयोग खलिहान (बाड़ा) के रूप में किया जाता है। जिससे भी यह प्रमाणित है कि मौके पर मकान निर्माण नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि पट्टाधारक अमराराम तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत का वार्ड पंच था तथा पद पर रहते हुये उन्होनें अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 08.10.2018 से यह प्रमाणित है कि पट्टाधारक अमराराम ग्राम पंचायत में वर्ष 1980 से 1988 तक वार्डपंच था, साथ ही जैर निगरानी पट्टे कि मिसल की प्रथम आदेशिका में भी प्रार्थी श्री अमराराम वार्डपंच अंकित किया और उसके पश्चात् वार्डपंच को कांटा गया। अतः प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि पट्टाधारक जैर गिनरानी पट्टा जारी होने के दौरान ग्राम पंचायत में वार्डपंच था परन्तु यह निर्धारिण किया जाना कि प्रश्नगत पट्टा जारी होने के दौरान की कार्रवाई में वह कोरम में शामिल था अथवा नहीं, बिना बैठक कार्यवाही रजिस्टर के सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उलपब्ध नहीं होना भी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। भूमि का पट्टा तभी वैध माना जाता है जब वह स्पष्ट रूप से भूमि की सीमाएं, स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों को प्रमाणित करता हो। राजस्थान पंचायती राज एक्ट और सम्बन्धित नियमों के अनुसार, पट्टा जारी करते समय उसका पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होता है। रिकॉर्ड के बिना पट्टा जारी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिना रिकॉर्ड के जारी पट्टे की वैधता संदिग्ध होती है। इसका अर्थ है कि पट्टा फर्जी, गलत या भ्रष्टाचार से प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत के पास पट्टे का पूरा रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाएगा। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज यथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा बुक ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जो पट्टे की वैधता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2003 RLW 1119 Ramchandra vs State of Rajasthan में यह अंकित किया कि यदि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना वैध रिकॉर्ड के या बिना अधिसूचना के जारी किया गया है, तो वह आदेश कानूनन टिक नहीं सकता। हस्तगत प्रकरण में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1958 SC 32 M.C. Chockalingam vs Union of India में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि भूमि पट्टों के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन आवश्यक है, अन्यथा पट्टा रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

यदि पट्टे के साथ सम्बन्धित कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो पट्टे को संदिग्ध माना जाएगा और वह रद्द किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेशों में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखरखाव को जरूरी बताया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रवाई को संशोधित, निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुर्नविचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। इस मामले में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना प्रार्थी की कब्जे सुदा भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, जिसका रेकर्ड भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसे मान्यता प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे का मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है केवल पत्रावली पर मिसल की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है। उक्त मिसल की प्रतिलिपि का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टाधारक अमराराम ने पीढ़ियों से 100 वर्ष पुराना कब्जा होना बताते हुये ग्राम पंचायत ने समक्ष आवेदन पेश किया। मिसल प्रथम आदेशिका के द्वारा पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में 100 वर्ष पुराना कब्जा एवं मकान आदि बने हुये के कथन है जबकि पूर्व में यह प्रमाणित हो चुका है कि मौके पर कोई मकान नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत पट्टे में मौका रिपोर्ट, बिना मौका जांच किये बनाई गई है, जिसमें सुविधानुसार तथ्य अंकित किये गये है। ग्राम पंचायत को पंचायत नियम 258 के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258(2) "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his

अति. जिला कलेक्टर, पाली

power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उस पर न तो डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही पंचायत की मोहर है साथ ही उक्त नोटिस के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में यह कहना उचित होगा कि प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के दौरान पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेदरिया द्वारा मिसल संख्या 02/1987–88 दायर दिनांक 10.10.1987, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 10.01.1988 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 77 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली